प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय अप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन) (भारत सरकार की एक परियोजना ग्राम पंचायतो को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर

उपखण्ड विकासनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत ढलानी ग्राम पंचायत (0.144 हे0 आरक्षित वन भूमि, -- हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि -- हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ---------- हे0 वन भूमि) का 0.144 हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की दिनांक 17/02/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री विनोद कुमार उपजिलाधिकारी ---------- अध्यक्ष
2– श्री बी0डी0 डिल्यकल्ला उप प्रभागीय वनाधिकारी ---------- सदस्य
3– श्रीमती पूजा पाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी ---------- सदस्य / सचिव
4– श्रीमती रजनीबाला बी0डी0सी0 क्षेत्र ---------- सदस्य

उपजिलाधिकारी विकासनगर
उपप्रभागीय वनाधिकारी सहसपुर उपवनप्रभाग कालसी (देहरादून)
(पूजा पाल) सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकासखण्ड
रजनीबाला सदस्य क्षेत्र पंचायत ढलानी क्षे.प. विकासनगर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय अप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन), (भारत सरकार की एक परियोजना ग्राम पंचायतो को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है) परियोजना हेतु 0.144 हे0 वन भूमि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यो के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री बी0डी0 डिल्यकल्ला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

~~विकासनगर~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड विकासनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत एन.ओ.एफ.एन (NOFN) परियोजना के निर्माण हेतु 0.144 हे0 वन भूमि B.S.N.L प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.....
जनपद .....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ~~देहरादून~~ ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.....
जनपद.....